कार्यालय–भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या–40–2011

मूलचन्द पुत्र शुभराम जाति जाट निवासी ढाणी मोहरसिंह तन बेरला उप तहसील सुरजगढ तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू

–बनाम–

अपीलांट

नायब तहसीलदार उप तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज)

–रेस्पोडेन्ट–

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16–5–2011 द्वारा जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दिनांक 24–9–2009 द्वारा नायब तहसीलदार सूरजगढ

उपस्थिति–

1– श्री रणजीत सिंह एडवोकेट–अपीलांट
2– श्री बिरजूसिंह शेंखावत राजकीय अभिभषक

निर्णय दिनांक – 31.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिर्पोट की कि मूलचन्द पि0शुभराम जाति जाट ने संम्वत 2060 में खसरा नं0–71 गै0मु0 रास्ता रकबा 1.12 हैक्टर में सें 0.01 हैक्टर पर बाजरा बुआई कर अतिक्रमण किया है। इस पर नायब तहसीलदार ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत नोटिस जारी किया जिस पर गैर सायल अनुपस्थित रहा। जिसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाट को अतिक्रमीत रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहा प्रस्तुत की जिस पर अदालत मातहत ने बाद सुनवाई अपीलाट की अपील खारीज कर विद्वान नायब तहसीलदार का निर्णय यथावत रखा। इस आदेश से अपीलान्ट क्षुब्ध होकरं यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय बिना माईण्ड अप्लाई किये पारित किया है। अदालत मातहत ने

Web Copy - Not Official

निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मौका मुआयना किया और ना ही मौके पर कोई नपती की है। इससे भी स्पष्ट है कि मौक पर रास्ता कितना मौजूद है व रास्ते के दोनो तरफ काश्त की जमीन है। तथा किस तरफ वाले ने रास्ते पर अतिक्रमण किया है। इस बाबत दोनो ही अदालतो ने कोई जांच न कर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। इस बाबत भी कोई जांच नहीं की कि मौके पर रास्ता चालू है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर देकर पारित किया है। अदालत मातहत का नोटिस अपीलाट को कभी भी नहीं मिला। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। तामिल कुनिन्दा ने घर पर बैठ की तामिल रिपोट अपीलान्ट का नाम लिखकर गलत पेश की है तामिल कुनिन्दा की कोई हल्फीया रिर्पोट भी नहीं है। आदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना आदेश पारित किया है जो प्राकतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अदालत मातहत में अपीलान्ट अपनी पैरवी सही तरीके से नहीं कर पाया। इस बाबत जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने भी अपने निर्णय में कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। मौके पर रास्ता चालू है इस बाबत भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है। रास्ते के दोनो और मेड बनी हुई है। तथा रास्मे के दौनोऔर पेड खडे हैं कितु अदालत मातहत ने इस बाबत मौके की कोई जांच न कर अपना निर्णय दिया है। अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तामिल कुनिन्दा ने घर पर बैठ कर तामिल रिर्पोट की है जिस पर अदालत मातहत ने अपीलांट को बिनर सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश– 41 नियम –27 सीपीसी एवं धारा– 151 सीपीसी पेश किया जिसके साथ ख0न0–71 जो राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है। इस

रास्ते के दक्षिण एवं उत्तर में किस किस की काश्त की जमीन है तथा इस रास्ते में कोई रूकावट नहीं इस बाबत भी निवेदन है कि इस रास्ते के पडौसियों के आपस में काफी विवाद हैं जिस के बाबत एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश –क0ख0– पिलानी में दावा रामकुमारसिंह बनाम रामचन्द्र आदि बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सं0–58/2009 चला जो राजीनामा होने पर डिक्री किया गया जिसमे मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिसकी रिर्पोट दिनांक 24–10–2009 है जो मय नजरी नक्शा के पेश है जिसमें उक्त रास्ते बाबत पूरी स्थिति स्पष्ट है ।अत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्याय निर्णय हेतु रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है । अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में अदालत मातहत का निर्णय उचित बताते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय गैर मुमकीन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से 0.01 हैक्टर पर अतिक्रमण कर लिया इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिर्पोट की है। अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में स्थगन होने का कोइ साक्ष्य पेश नही किया अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये है उनका इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध। नहीं है। जहां तक अपीलान्ट का सुनवाई का सवाल है अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जो अपीलान्ट स्वयं पर तामिल हुआ है अपीलान्ट बावजूद सूचना के अदालत मातहत में हाजिर नहीं आया। रास्ते पर अतिक्रमण की जांच पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई है। जिसमें रास्ते पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण पाया गया है। अदालत मातहत ने प्रकरण में सभी तथ्यो पर मनन करने के बाद अपना निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं प्रार्थना पत्र खरिज किया जाकर अंपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे।

बहस बगौर समाहत की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का की रिर्पोट से यह स्पष्ट है कि गै0मु0 रास्ता के ख0न0–71 पर अपीलान्ट ने 0.01 हैक्टर पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट को नोटिस तामिल करवाया गया है।मौके की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई जिसमें भी अपीलान्ट का रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया है। अपीलान्ट ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं

है जो यह साबित करता हो कि अपीलान्ट का इस रास्ते की आराजी पर अतिक्रमण न हो। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है। प्रस्तुत रेकार्ड में ऐसी कोई साक्ष्य नही है जो अपीलांट का आराजी पर अतिक्रमण नहीं बताया हो। प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निणर्य दिनांक 16.5.2011 एवं विद्वान नायब तहसीलदार सूरजगढ का निर्णय दिनांक 24—9—2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.1.2018 को सुनाया गया।

31.1.18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर